

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 145 : Recovery from a third person

- (1) The proper officer may serve upon a person referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 79 (hereafter referred to in this rule as “the third person”), a notice in **FORM GST DRC-13** directing him to deposit the amount specified in the notice.
 - (2) Where the third person makes the payment of the amount specified in the notice issued under sub-rule (1), the proper officer shall issue a certificate in **FORM GST DRC-14** to the third person clearly indicating the details of the liability so discharged.
-

नियम 145 : किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली

- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप जीएसटी डीआरसी-13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा।
 - (2) जहां तृतीय व्यक्ति, उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी तृतीय व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-14 में ऐसे उन्मोचित दायित्व के ब्यौरे स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा।
-